



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक 2373 – अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/IIIB

दिनांक : 23/05/2025

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा श्रीमती मिनाक्षी खन्ना, सहायक अभियन्ता(वाणिज्य) [Employee Code : UA00010638], कार्यालय मुख्य अभियन्ता(वाणिज्य), उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को दिनांक 22.05.2025 से दिनांक 06.06.2025 तक अथवा प्रस्थान करने की तिथि से कुल 16 दिवसों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के साथ-साथ उक्त अवकाश अवधि में विदेश यात्रा (Macau and Hong Kong) [विदेश में ठहरने की अवधि दिनांक 26.05.2025 से दिनांक 04.06.2025 तक कुल 10 दिवसों] पर जाने की अनुमति इस प्रतिबन्धाधीन प्रदान की जाती है कि उनके द्वारा 16 दिवसों से अधिक का उपार्जित अवकाश को नहीं बढ़ाया जायेगा तथा सभी औपचारिकताएँ [Procedural Formalities] पूर्ण कर ली जाएंगी। उक्त आवेदक का Leave Module में सिस्टम जेनरेटेड आवेदन नं० – EL08002492 है।

उक्त अवकाश की अवधि में श्रीमती मिनाक्षी खन्ना, सहायक अभियन्ता(वाणिज्य) के विभागीय कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन श्रीमती संध्या ओझा तिवारी, सहायक अभियन्ता(वाणिज्य), [Employee Code : UA00010846] कार्यालय मुख्य अभियन्ता(वाणिज्य), उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून द्वारा अतिरिक्त कार्यभार के रूप में किया जायेगा, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

यह भी आदेशित किया जाता है कि यदि श्रीमती मिनाक्षी खन्ना, सहायक अभियन्ता(वाणिज्य) उपरोक्तानुसार उपार्जित अवकाश पर न गयी होती, तो वह अपने पद पर यथावत् बनी रहती।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 2373 – अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/IIIB, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टॉफ ऑफिसर-1, प्रबन्ध निदेशक, उ०पा०का०लि०, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता(वाणिज्य), उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. महाप्रबन्धक(वित्त)(वे०एवंभ०), उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता(सू०प्रौ०), उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
5. सम्बन्धित अधिकारी/व्यक्तिगत पत्रावली/कट फाईल।

[डॉ० आर० जे० मलिक]
अधिशासी निदेशक(मा०सं०)